न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री मनमोहन मीना , आर ए एस**

वाद संख्या :– **40/2019**

उनवान

जमल पुत्र श्योनाथ उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी ढाणी मंगरा की ग्राम–खोरालाडखानी तह0 डपुरा, जिला जयपुर, राज0

वादी

बनाम

ादीश पुत्र श्योनाथ
ातीलाल पुत्र श्योनाथ
ुमान पुत्र श्योनाथ
ास्त जाति जाट निवासी ढाणी मंगरा की ग्राम–खोरालाडखानी तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0
ंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा गठवाडी
ंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0
जस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित **श्री जितेन्द्र पलसानिया एडवोकेट वादी**
श्री रणवीर कपूरिया एडवोकेट प्रतिवादी

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक 12.10.2022

वकील वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट के तहत पेश गया कि भूमि हाल खाता सं0– 277 के खसरा नम्बरान 704/0.18 है0, 705/0.06 है0, 0.20 है0, 724/0.21 है0, 744/0.12 है0, 745/0.07 है0, 769/0.10 है0, 871/0.06 है0, 0.11 है0, 878/0.13 है0, किता 11 रकबा 1.32 है0 वाकै ग्राम खोरालाडखानी तह0 शाहपुरा में है। उक्त वर्णित भूमि में हिस्सा 1/4 भाग का वादी, हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादी सं0 1, 1/4 भाग का प्रतिवादी सं0 2, हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादी सं0 3, खातेदार काश्तकार न काश्त उपयोग व उपभोग है इसी अनुसार राज में मांग के अनुरूप लगान जमा कराते आ रहे क्त वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 अपने अपने हिस्से अनुसार सामलाती ते काबिज रहकर काश्त उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 जो के सगे भाई है ने एक नाजायज संगठन बना लिया है जो कि वादी को उसके हिस्से की भूमि काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं वादी के हिस्से पर निर्माण कार्य करने व मिट्टी उठाकर –पुथल कर भूमि को खुर्द–बुर्द कर खराब करने पर उतारू हो रहे है तथा काश्त में बाधा कर भूमि हडप करना चाहते है। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त वर्णित भूमि पर वादी के हिस्से पर निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया गया और जबरन बेदखल करने की धमकी दी गई। मांग करता है कि विधि अनुसार उसका बंटवारा हो व साथ ही राजस्व रिकार्ड में अमल करावे, ादी सं0 1 लगा0 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे और शांतिपूर्वक काबिज काश्त करने प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 के भूमि रहन रखी हुयी होने से व प्रतिवादी सं0 6 तहसीलदार भूमि है इस कारण दावा बंटवारा मे कानूनी प्रक्रिया के लिए पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 04.07.2019 को विधिक बंटवारा अन्दर द पेश है अतः वादपत्र वादी की ओर से दो प्रतियों में मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्णित भूमि हाल खाता सं0 277 के खसरा नम्बरान 704/0.18 है0, 705/0.06 है0, 171/0.20 724/0.21 है0, 744/0.12 है0, 745/0.07 है0, 769/0.10 है0, 871/0.06 है0, 876/0.11 है0, /0.13 है0, किता 11 रकबा 1.32 है0 वाकै ग्राम खोरालाडखानी तह0 शाहपुरा में स्थित का क बंटवारा कराया जाकर वादी को कब्जा अलग–अलग हिस्सा का संभलाया जावे व भूमि का ग–अलग नम्बर कायम कराया जावे व अलग–अलग लगान कायम कराया जावे तथा प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी को शांतिपूर्वक ढंग से काबिज र काश्त करने देवे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे बहक वादी बखिलाफ वादीगण फरमाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी ज़ारी की गई। प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

से 3 की ओर से श्री राकेश मोहन शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रकरण में दिनांक 0109 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु त किया गया । तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमाक 722 दिनांक 4.3.2022 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्तुत की गई । तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी की ओर आपत्ति पत्र पेश किया गया कि प्रस्तुत बंटवारा रिपोर्ट वादी से मिलकर बिना मौका पर गये ही अपनी ी से तैयार की गई है। वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 713 रकबा 0.21 पूर्ण व 706 रकबा 0.07 है0, 707 रकबा 0.11 है0, 709 रकबा 0.20 है0 के हिस्सा 1/3 में से वादी ने कब्जे के आधार पर अपना हिस्सा 3/4 भाग का बैचान अपने पिता श्योनाथ पुत्र रामदेव के ाल में ही कर दिया गया है,कालान्तर में वादी के पिता श्योनाथ की मृत्यू हो जाने पर शेष रही भूमि ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर सम्पूर्ण भूमि में हिस्सा 1/4 भूमि का फौतगी नामान्तकरण नाम खुलवा लिया और गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त की आराजी प करने के आशय से यह वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है । इस प्रकार कुर्रेजात रिपोर्ट को ार किया जाकर पुनः मौका स्थिति के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाया जाना न्याय संगत है। जिस ील वादी ने सीधी बहस हेतु निवेदन किया गया । वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र आपत्ति रिपोर्ट ा गया ।वकील प्रतिवादी ने अपने आपत्ति प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए कुर्रेजात अस्वीकार कर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट कब्जा कास्त के आधार पर मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया । वादी ने जाहिर किया कि प्रश्नगत आराजी में 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार का है तथा उक्त जरिये विरासत से प्राप्त हुई है यदि प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति थी तो उसकी अपील की जानी थी वर्तमान में 1/4 का खातेदार होने के कारण तथा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा अन्तिम किये जाने का निवेदन किया । हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया प्रश्नागत आराजी वादी के ी में दर्ज है तथा आपत्ति में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 713 रकबा 0.21 है0 सम्पूर्ण व 706 रकबा 0, 707 रकबा 0.11 है0, 709 रकबा 0.20 है0 इस वाद पत्र में नहीं है। इस प्रकार आपत्ति सारहीन खारिज की जाती है। प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन करने पर सही पाये जाने से दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है ।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के पर ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा के निम्न खसरा नम्बरान के खातेदार/पक्षकारान के मध्य ुसार बंटवारा किया जाता हैं :-

्0सं	खसरा नम्बर	.रकबा	नाम खातेदार जिसके हिस्से भूमि रही
	705 717 744/1 कुल 3	0.06 है0 0.20 है0, 0.07 है0 रकबा 0.33 है	सूरजमल पुत्र श्योनाथ जाति जाट सा0 देह रहिन पीएनबी शाहपुरा
	704 724 744/2 745 769 871 872 876 878 कुल 9	0.18 है0 0.21 है0 0.05 है0 0.07 हे0 0.10 है0 0.08 है0 0.06 है0 0.11 है0 0.13 है0 कुल 0.99 है0	कजोड पुत्र गंगासहाय हि0 8350/20750 रहन आरएमजीबी शाखा शाहपुरा ,सीताराम पुत्र गंगासहाय हि0 6200/20750 रहन यूबीआई शाखा शाहपुरा मालीराम पुत्र गंगासहाय हि0 6200/20750 रहन यूबीआई शाखा शाहपुरा जाति अहीर सा0 देह खातेदार

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :– 40/2019

उनवान

सूरजमल पुत्र श्योनाथ उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी ढाणी मंगरा की ग्राम–खोरालाडखानी तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0

वादी

बनाम

जगदीश पुत्र श्योनाथ
प्रभातीलाल पुत्र श्योनाथ
हनुमान पुत्र श्योनाथ
समस्त जाति जाट निवासी ढाणी मंगरा की ग्राम–खोरालाडखानी तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0
प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा गठवाडी
प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री जितेन्द्र पलसानिया एडवोकेट वादी
श्री रणवीर कपूरिया एडवोकेट प्रतिवादी

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट
निर्णय दिनांक 12.10.2022

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा के निम्न खसरा नम्बरान के खातेदार/पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

क0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार जिसके हिस्से भूमि रही
1	705 717 744/1 कुल 3	0.06 है0 0.20 है0, 0.07 है0 रकबा 0.33 है	सूरजमल पुत्र श्योनाथ जाति जाट सा0 देह रहिन पीएनबी शाहपुरा
2	704 724 744/2 745 769 871 872 876 878 कुल 9	0.18 है0 0.21 है0 0.05 है0 0.07 है0 0.10 है0 0.08 है0 0.06 है0 0.11 है0 0.13 है0 कुल 0.99 है0	जगदीश पुत्र श्योनाथ हि0 1/3 रहिन पीएनबी खोरालाडखानी, प्रभातीलाल , हनुमान पि0 श्योनाथ हि0 2/3 जाति जाट सा0 देह

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।
आज तारीख 12.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	